

FORM-1

Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector Chamoli

No---

Dated---20.05.2015

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.450 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Gauchar, Uttarakhand for Construction of new motor road "Karanprayag-Nauti- Paithani S.H. No. 34 to Malai" in Chamoli district falls within jurisdiction, Malai village (s) in Aadibadri/Gairsain tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.450 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha 'Malai' sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

  
Signature  
(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी  
चमोली

5

**ANNEXURE....**  
**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE**  
**DISTRICT Chamoli (U.K.)**

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashok Kumar, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 20.05.2015 at time 17:00 PM at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measuring 1.167 hect for the construction of "Karanprayag-Nauti- Paithani S.H. No. 34 to Malai" and forest land 0.450 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Aadibadri/Gairsain sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

**Place: Gopeshwar**  
**Dated:...** 20.05.2015

  
**District Magistrate-cum-Chairman**  
**District Level Committee**  
**जिलाधिकारी**  
**चमोली**

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- कठप्रयाग - नौरी - पैठाणी राज्य मार्ग 34 से ग्राम-मालई तक मोर  
मार्ग नव निर्माण हेतु 0.420 हे. सिविल श्रम एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.030 हे  
सिविल - श्रम, कुल 0.450 हे. सिविल श्रम का लो. नि. वि. को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, आदिबढ़ी जैरखेण  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत  
प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, आदिबढ़ी जैरखेण

उपखण्ड आदिबढ़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत कठप्रयाग - नौरी - पैठाणी राज्य मार्ग 34 से ग्राम मालई तक  
मोर मार्ग के निर्माण हेतु हे० आरक्षित वन भूमि 0.420 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.030 हे० सिविल श्रम हेतु  
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.450 हे० सिविल वन भूमि ) का लो. नि. वि.  
जैरखेण प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित  
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के  
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील आदिबढ़ी) की दिनांक 16/5/015 को  
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)  
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक  
श्री \_\_\_\_\_, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की  
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- |    |                          |                           |         |
|----|--------------------------|---------------------------|---------|
| 1- | श्री _____               | उपजिलाधिकारी              | अध्यक्ष |
| 2- | श्री <u>पुष्पलाल</u>     | उप प्रभागीय वनाधिकारी     | सदस्य   |
| 3- | श्री <u>सुरेन्द्रलाल</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य   |
| 4- | श्री _____               | बी०डी०सी० क्षेत्र         | सदस्य   |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी  
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया  
कि मो.शु.ही. राज्य योजना के अन्तर्गत कठप्रयाग - नौरी - पैठाणी राज्य मार्ग 34 से ग्राम  
मालई के निर्माण हेतु 0.420 हे. सिविल श्रम एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.030 हे. सिविल  
श्रम कुल 0.450 हे. सिविल वन श्रम का लो. नि. वि. की

हस्तान्तरण प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों  
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त  
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग  
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंता की गई है।

जैरखेण  
तहसील-आदिबढ़ी  
जिला-चमोली

Spant

### केदाप्रमाण वनजीव प्रमाण

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, \_\_\_\_\_ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम समा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड आदिवादी परिक्षेत्र के अन्तर्गत काप्रमाण - नदी - पैयसी उपप्रमाण 34 वेगलई व मोरपूर परियोजना के निर्माण हेतु 0.450 हे. वन भूमि लो.वि.गोच प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- आदिवादी (डी/सेण)  
जनपद- कमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, कमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- आदिवादी (डी/सेण)  
जनपद- कमोली

प्रपत्र-23.1

ग्राम मालई तक मो. मार्ग

परियोजना का नाम :- कृष्ण प्रयाग - नौरी - पैठाणी राज्य मार्ग 34 से ग्राम मालई तक  
0.420 हे. सिविल भूमि एवं सूक डिस्पोजल हेतु 0.030 हे. कुल  
0.450 हे. सिविल भूमि का लो. नि. वि. का हस्तान्तरण।  
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र-

ग्राम पंचायत का नाम मालई  
तहसील साहिबपुरी जिला चमोली

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत कृष्ण प्रयाग - नौरी - पैठाणी राज्य मार्ग 34 से ग्राम मालई तक परियोजना के निर्माण हेतु (~~0.420~~ हे० आरक्षित वन भूमि, 0.420 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.030 हे० सिविल भूमि वन पंचायत भूमि ~~0.450~~ हे०) अर्थात् कुल 0.450 हे० वन भूमि का लो. नि. वि. अ. ल.

गोचर विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मालई द्वारा दिनांक 09/2/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विरतुत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का इनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मालई के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 0.450 हे० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिने जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/ [Signature]  
ग्राम अधिकारी पी०सी० मैखुरी  
ग्राम विकास अधिकारी  
क्षेत्र मालई विकास खण्ड जैरतौण

ह०/ -  
ग्राम प्रधान [Signature]  
ग्राम पंचायत मालई  
दि० 09/02/015  
ह० गैरसैन

नोट :- जिला किस्ती आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 09/12/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मालवी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री राजजीत सिंह	
2	" जगदीश सिंह	
3	" राजेश सिंह	
4	" लक्ष्मण सिंह	
5	" प्रकाश सिंह	
6	" राजजीत सिंह	
7	" रघुवीर सिंह	
8	" विक्रम सिंह	
9	" विजय सिंह	
10	" उदय सिंह	
11	" मोहन सिंह	
12	" श्री जीविंद सिंह	
13	" राजवर सिंह	
14	" तिलोक सिंह	
15	" पुष्कर सिंह	
16	" अण्ड सिंह	
17	" कुंवर सिंह	
18	" कुंवर सिंह - चौधरी	
19	" इन्दजीत सिंह	
20	" सुरेन्द्र सिंह	

- 21 - " विक्रम सिंह - *[Signature]*
- 22 - " तिलोक सिंह - *[Signature]*
- 23 - " दिनेश सिंह - *[Signature]*
- 24 - " ठाकुर सिंह - *[Signature]*
- 25 - " अर्जुन सिंह - *[Signature]* ह0/-  
ग्राम प्रधान
- 26 - " मोहन सिंह
- 27 - " रघुवीर सिंह - *[Signature]*
- 28 - " राजजीत सिंह - *[Signature]*
- 29 - " रजिेश - कन्व. बैंगण - *[Signature]*
- 30 - " देव राम - *[Signature]*
- 31 - " रघुवीर प्रसाद - *[Signature]*
- 32 - " केशव दत्त नैयामी - *[Signature]*
- 33 - " प्रशान्त देवजी - *[Signature]*
- 34 - " बहा प्रसाद - *[Signature]*



*[Signature]*  
 ग्राम विकास अधिकारी  
 क्षेत्र. मालवी विकास खण्ड, रस  
 जिला. *[Signature]*

